

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला-अजमेर (राज0)

राजस्व वाद संख्या 22/2017

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भू0अ0 मसूदा जिला-अजमेर

-----वादी

ब न अ म

- 1- श्री केसरसिंह दत्तक पुत्र बाबू
 - 2- श्री भीमा पुत्र मोती
- समस्त जाति रावत निवासी लहरी तहसील मसूदा जिला-अजमेर

-----प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 29.12.2017

तहसीलदार मसूदा ने सारांक्षत अपने वाद पत्र में कथन किया है, कि मौजा जसवन्तपुरा लहरी पटवार हल्का खरवा प्रथम में स्थित भूमि खसरा नंबर 3753 रकबा 05-9-10 प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी में दर्ज है, जिसका मौका निरीक्षक किया गया जिसमें उक्त खसरा नंबर जिसका नाप 62.5 बाई 55 वर्ग मीटर गहराई औसतन 2 मीटर पाई गई में खनन का निर्गमन पाया गया चूंकि खातेदार द्वारा खातेदारी भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन (अवेध खनन) में किया गया है अतः धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही गई जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादीगण केसरसिंह व भीमा ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है, कि आरोपित अपराध से अप्रार्थी का कोई लेना देना संबंध व सरोकार नहीं है। वही अवेध खनन भू माफियो द्वारा अप्रार्थी की जानकारी के अभाव में अप्रार्थी की खातेदारी भूमियों से अवेध खनन किया गया है। जिस हेतू पूर्व में अप्रार्थी ने कई बार जिला कलेक्टर महोदय, अजमेर प्रार्थना पत्र देकर अवेध रोकने हेतू निवेदन भी किया गया है, अप्रार्थी गरीब श्रेणी का व्यक्ति है, तथा कमाने के हिसाब से अक्सर राजस्थान से बाहर रहता है। अप्रार्थी की खातेदारी में अवेध खनन होने से अप्रार्थी को कत्तई जिम्मेदारी नहीं ठहराया जा सकता है। अप्रार्थी के विरुद्ध उक्त नोटिस काल्पनिक तथ्यों का पेश कर दिया गया है के कारण उक्त कार्यवाही निरस्तनीय है। अप्रार्थी की खातेदारी भूमियों के कोई चारदीवारी नहीं हो रखी है, वहां पर कोई भी आ जा सकता है, वही वर्णित भूमियां अप्रार्थी तथा अप्रार्थी के कमाने खाने के हिसाब से बाहर चले जाने से काफी लम्बे समय तक अपनी उक्त भूमियों पर आ जा भी नहीं सकता है। अतः अप्रार्थी के जवाब को को रिकार्ड पर लिया जाकर अप्रार्थी के विरुद्ध कार्यवाही ड्रॉप की जावे।

प्रकरण में बहस सुनी गई जिनके कथन कमोबेश उनके वादपत्र एवं जवाबदावा अनुसार ही रहे। बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्राया कि खनि अभियन्ता ब्यावर ने तहसीलदार मसूदा को दिनांक 16.02.2017 को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में कथन किए हैं कि ग्राम जसवन्तपुरा लहरी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 3753 जो कि श्री केसरसिंह दत्तक पुत्र श्री बाबू व भीमा पुत्र श्री मोती कौम रावत निवासी लहरी के के नाम दर्ज है का मौका निरीक्षण किया जिसमें उक्त खसरा में एक खनन पिट में खनिज फैंसपार (कांटी) का खनन कर निर्गमन होना पाया जाने का रिपोर्ट प्रस्तुत की है तथा खातेदारों द्वारा खातेदारी भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजनार्थ (अवेध खनन) में किया गया है। पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 15.02.2017 में भी खसरा संख्या 3753 में अवेध खनन किये जाने की रिपोर्ट प्रस्तुत की है। ग्राम जसवन्तपुरा लहरी पटवार क्षेत्र खरवा प्रथम की जमाबन्दी संवत् 2071-74 के खाता संख्या 93 में वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 3753 रकबा 05-09-10 किस्म बारानी 3 बाबू पि. अमरा हि.1/2 भीमा वल्द मोती हि.1/2 कौम रावत सा. लहरी खातेदार तथा बात वल्द अमरा के स्थान पर केसरसिंह दत्तक पुत्र बाबू कौम रावत का अंकन लाल स्याही से जरिए नामान्तरकरण दर्ज है।

उपरोक्त समस्त विवेचन एवं दस्तावेजी साक्ष्यों एवं मौका रिपोर्ट अनुसार वादी का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम जसवन्तपुरा लहरी पटवार हल्का

// 2 //

राजस्व वादपत्र संख्या 22 सन् 2017

राजस्थान सरकार बनाम श्री केसरसिंह व अन्य

कृषि भूमियों का बिना संरपरिवर्तन करवाये अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग किये जाने का उक्त कृत्य राज्य सरकार को राजस्व की हानि पहुंचाने एवं भूमि अवैध खनन करवाया जाकर भारी मुनाफा कमाने का जरिया एवं खनन माफियाओं को बढावा देने की नियत से यह कार्यवाही किया जाना पाया जाता है। तथा साथ ही धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने से उक्त वादग्रस्त भूमियों को सिवायचक घोषित किया जाता है। तदनुसार तहसीलदार मसूदा को ग्राम जसवन्तपुरा लहरी पटवार हल्का खरवा प्रथम में स्थित भूमि खसरा नंबर 3753 रकबा 05-09-10 किस्म बारानी 3 को राजस्व अभिलेखों में सिवायचक सरकारी भूमि अंकित करते हुए कब्जा सरकार के तहवील में लिये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। यथानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29/12/17 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सुरेश चावला)

आर०ए०एस०

उपखण्ड अधिकारी मसूदा

